न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 02/2023

अपीलांट –

तरूण कुमार पुत्र सोहनलाल प्रजापत उर्फ सोनाराम जाति प्रजापत निवासी 521, विभाग सी, वैष्णव नगर, बीआर बिड़ला विधालय के सामने, जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण
2. सोहनलाल प्रजापत उर्फ सोनाराम पुत्र तगाराम
3. मोहनलाल पुत्र सोहनलाल प्रजापत उर्फ सोनाराम जातियान प्रजापत निवासी 23/27, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
4. गीता पुत्री सोहनलाल प्रजापत उर्फ सोनाराम पत्नी लक्ष्मणराम जाति प्रजापत निवासी 23/27, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
5. तीजों पत्नी भोमाराम जाति कुम्हार निवासी रोहिली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध मौजा फकीरों की बस्ती के नामान्तरकरण सं. 02 दिनांक 07.07.2022 जो तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री भूरचन्द जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री पवन सिंहल, रेस्पोडेंट सं. 5 के की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 2से4 नोटिस तामील बावजूद अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 25.11.2024

1. अपीलांट की ओर से यह अपील [illegible] राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम फकीरों की बस्ती, तहसील बाड़मेर ग्रामीण के नामान्तरकरण सं. 02 पर तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक [illegible]2022 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:55:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा फकीरों की बस्ती के खसरा संख्या 29 कुल रकबा 32.5043 हैक्टर बीघा भूमि सोना पुत्र तगा जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 देह खातेदार के नाम संयुक्त खातेदारी में हिस्सा 1/16 दर्ज थी। उक्त खातेदार सोना द्वारा अपने हिस्से की भूमि का पंजीबद्ध बेचान दिनांक 09.10.2019 द्वारा किये जाने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 02 दिनांक 07.07.2022 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 19.01.2023 को यह अपील न्यायालय समक्ष प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील में मयाद पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी। अधिवक्ता अपीलांट की ओर से निवेदन किया हैं कि अपीलांट की पैतृक खातेदारी व संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा फकीरों की बस्ती पटवार हल्का कपूरड़ी तहसील बाड़मेर ग्रामीण में खसरा सं. 29 रकबा 32.5043 हैक्टर का आय हुआ हैं। उक्त भूमि वक्त सैटलमेंट से अपीलांट के दादा तगाराम पुत्र सालूराम के नाम दर्ज हुई थी जिसमें अपीलांट के पिता रेस्पो0 सं. 2 सोहनलाल उर्फ सोनाराम का 1/16 हिस्सा खातेदारी में अंकित था। रेस्पोडेंट सं. 2 ने अपीलांट को पैतृक खातेदारी की भूमि से महरूम करने के उद्देश्य से एक सार्वजनिक सूचना दिनांक 12.08.2015 को समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई। इस पर अपीलांट ने पैतृक खातेदारी भूमि के बेचान को रोकने एवं अपने हक हिस्से के लिये एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त वाद के संलग्न अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन भी प्रस्तुत किया जिसमें बाद सुनवाई दिनां[illegible]2019 को रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश जारी हुआ। रेस्पोडेंट सं. 2 ने इस आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा रूप से स्थगन

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:55:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आदेश को खारिज करवा दिया तथा विवादित आराजी में अपना 1/16 हिस्सा बाले–बाले तरीके से रेस्पोडेंट सं. 5 को बेचान कर दिया। उक्त बेचान के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 02 रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा दिनांक 07.07.2022 को स्वीकृत कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने में वाक्याती एवं कानूनी भारी भूल की है, जो आदेश काबिल निरस्त के हैं। विवादित भूमि अपीलांट की पैतृक खातेदारी की हैं जिसमें अपीलांट के पिता के हिस्से में 1/16 हिस्सा दर्ज हैं तथा अपीलांट दो भाई व एक बहिन का पिता के साथ बराबर–बराबर 1/4–1/4 हिस्सा जन्म से ही सृजित होने से निहित हैं। इस आधार पर रेस्पोडेंट सं. 2 द्वारा अपने हिस्से से अधिक का किया गया बेचान विधि सम्मत नहीं होने से पारित किया गया अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व न तो राजस्व रेकर्ड की जांच की गई और न ही अपीलांट को कोई मौखिक व लिखित सूचना दी गई। वादग्रस्त खसरा की भूमि पर अपीलांट का अपने हिस्से की पैतृक भूमि पर लगातार कब्जा–काश्त हैं तथा बहैसियत खातेदार के काबिज है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 02 दिनांक 07.07.2022 निरस्त योग्य हैं।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया जिससे अपीलांट को इस नामान्तरकरण का कोई ज्ञान नहीं हुआ। अर्सा 10 रोज पूर्व जब रेस्पोडेंट सं. 5 ने अपीलाधीन खसरा की भूमि में जबरन कब्जा करने की कोशिश की तथा नामान्तरकरण के बारे में बताया तब सर्वप्रथम जानकारी होने पर दिनांक 16.01.2023 नकलें प्राप्त करने पर ज्ञान होने की तारीख से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत कर जा रही हैं। चुंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण शुरू से ही अवैध, शुन्य व प्राकृतिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से कानूनन मयाद का बिन्दु [illegible] भी अपील को अन्दर मयाद सुमार करने हेतु धारा 5 [illegible] मय शपथ–पत्र साथ पेश किया जा रहा हैं। [illegible] यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जा[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:55:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

6. रेस्पोडेंट्स सं. 5 के अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार की नहीं हैं। रेस्पोडेंट सं. 2 द्वारा रेस्पोडेंट सं. 5 के पक्ष में किये गये बेचान का नामान्तरकरण दायर करने बाबत राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर ने अपील सं. 60/2022 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2022 पारित किया गया था। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी हैं। जब अपीलाधीन नामान्तरकरण राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश से दायर होकर पारित किया गया हैं तो इस नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील पोषणीय नहीं हैं तथा अपीलांट ने तमाम तथ्यों को छिपाकर यह अपील प्रस्तुत कर जिस कारण अपील इसी स्टेज पर खारिज योग्य हैं। अतः अपीलांट की यह अपील बलहीन, सारहीन एवं बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमाई जावें।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा फकीरों की बस्ती के खसरा नम्बर 29 रकबा 32.5043 हैक्टर भूमि राजस्व रेकर्ड में सोना पुत्र तगा के नाम संयुक्त खातेदारी में हिस्सा 1/16 दर्ज थी तथा उक्त खातेदार द्वारा अपने हिस्सा की भूमि का पंजिबद्ध विक्रय पत्र निष्पादित किये जाने के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण दायर किया गया हैं। अपीलांट का कथन हैं कि विवादित भूमि पुश्तैनी खातेदारी की हैं जिसमें अपीलांट का जन्म से हक–अधिकार होने से रेस्पोडेंट सं. 2 को सम्पूर्ण भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था। इस संबंध में स्वंय अपीलांट के ही कथन अनुसार अपीलांट द्वारा अपने हिस्से की घोषणा हेतु राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं तथा वाद के संलग्न प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन में विचारण न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश को राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर द्वारा [illegible] करने हुए रेस्पोडेंट सं. 2 द्वारा किये गये बेचान के आधार पर नामान्तरकरण दायर करने का आदेश दिया हैं, ऐसे में यदि इस आदेश की अनुपालना में नामान्तरकरण दायर किया गया हैं तो इसके विरूद्ध यह अपील विधि अनुसार कतई पोषणीय नहीं हैं। अपीलांट को

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:55:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए थी। जहां तक विवादित भूमि में अपीलांट के हक–हिस्से का प्रश्न हैं तो वह इसी नियमित वाद में साक्ष्य–सबूतों के विवेचन एवं विश्लेषण के द्वारा सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा न्यायालय आदेश के अनुसरण में नामान्तरकरण सं. 02 पर पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2022 पूर्णतया विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:55:16 IST
Reason: SelfAttested